रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33001/95

REGISTERED NO. DL-33001/95

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 26, 1995/भाद्र 4, 1917

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY AUGUST 26, 1995/BHADRA 4, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किये गये साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general Character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

(न्यायिक अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 1995

सा. का. नि. 391.—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की प्रथम अनुसूची के आदेश XXVII के नियम 8-ख के खण्ड (घ) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार निम्नलिखित अधिकारियों को कलकत्ता उच्च न्यायालय में सरकारी अभिवक्ताओं के रूप में नियुक्त करती है:—

1. श्री ज्योतिर्मय खोसला, उप विधि सलाहकार
2. श्री प्रीतम कुमार,
   केन्द्र सरकार के कनिष्ठ अधिवक्ता
3. श्री जयदेब मुखर्जी,
   केन्द्र सरकार के कनिष्ठ अधिवक्ता
4. श्री आर. डी. मिश्रा,
   केन्द्र सरकार के कनिष्ठ अधिवक्ता
5. श्री बी. एल. धानवी,
   केन्द्र सरकार के कनिष्ठ अधिवक्ता
6. श्री शांतनु कुमार महापात्र,
   सहायक विधि सलाहकार
7. श्री एस. एन. राय,
   केन्द्र सरकार के कनिष्ठ अधिवक्ता
8. श्री सच्चिदानन्द गुप्ता,
   केन्द्र सरकार के कनिष्ठ अधिवक्ता

[फाइल सं. 44(12)/93-न्या.]

पी. सी. कण्णन, संयुक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE

Jaipur, the 3rd August, 1995

No. 2|1995-CENTRAL EXCISE-JPR

G.S.R. 394.—In exercise of the powers conferred on me under Rule 5 of the Central Excise Rules, 1944, I, B. B. Sharma, Commissioner of Central Excise, Jaipur, delegate the powers vested in me under Rule 187 of the Central Excise Rules, 1944, and the notifications issued under this Rule so for, to the Assistant Commissioners of Central Excise, Incharge of the Central Excise Divisions in this Commissionerate, to be exercised within their respective jurisdictions.

[C. No. IV(16)87-Policy|94]
B. B. SHARMA, Commissioner

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1995

सा.का.नि. 395.—संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा दूरदर्शन कार्यक्रम (तकनीकी/वर्ग "ग" पद) भर्ती नियम, 1988 में पुनः संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात् :—

1. (1) ये नियम दूरदर्शन कार्यक्रम (तकनीकी/वर्ग "ग" पद) भर्ती नियम (संशोधित) 1995 कहलाएंगे।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. प्रस्तुति सहायक के पद के संबंध में दूरदर्शन कार्यक्रम (तकनीकी/वर्ग "ग" पद) भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची के क्रम संख्या 1 पर—

(क) कालम 8 में "सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा के शीर्ष के अंतर्गत तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएंगी। अर्थात् "18 से 30 वर्ष के बीच"

टिप्पणी—1 :—

केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों/आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष तक के लिए छूट।

टिप्पणी—2 :—

(क) आयु सीमा निर्धारित करने की निर्णायक तारीख भारत में आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी। ये तारीख असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख डिविजन आफ जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पंगी उप मण्डल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पर लागू नहीं होंगे।

(ख) कालम 14 में "यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उनकी संरचना क्या है" शीर्षक के अंतर्गत तत्संबंधी प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

स्थायी घोषित करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति :—

(1) निदेशक/उप-निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र	अध्यक्ष
(2) दो बाहरी विशेषज्ञ, जिनमें से एक अनुसूचित जाति/जनजाति का होगा	सदस्य
(3) कार्यक्रम निष्पादक/निर्माता	सदस्य

[फाईल संख्या : 501/3/94–टी.वी. (ए)]
एस. बनर्जी, अवर सचिव

टिप्पणी :—

दूरदर्शन कार्यक्रम (तकनीकी/वर्ग "ग" पद) भर्ती नियम, 1988 भारत के राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 581 के अंतर्गत 16 जुलाई, 1988 को प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 7th August, 1995

G.S.R. 395.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules further to amend the Doordarshan Programme (Technical|Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1988, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Doordarshan Programme (Technical|Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Doordarshan Programme (Technical|Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1988, in Serial No. 1 relating to the post of Production Assistant,—(a) in Column 8, under the heading "age limit for direct recruits", for the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"Between 18-30 years"

NOTE-1 :—

Relaxable for Government servants upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.

NOTE-2 :—

(a) The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications in India (other than those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Panji Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(b) In Column 14, under the heading "If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition", for the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"DPC for confirmation :

(i) Director|Deputy Director Doordarshan Kendra	Chairman
(ii) Two outside experts, one of whom shall be from SC|ST	Member
(iii) Programme Executive| Producer	Member"

[File No. 501|3|94-TV(A)]
S. BANERJEE, Under Secy.

Foot Note : The Doordarshan Programme (Technical|Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1988 were published in the Gazette of India under GSR No. 581 on 16th July, 1988.